

सचिव,
प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,
अध्यक्ष/सचिव

आर० बी० एल० लालू, राम - नडीर, पी० - बलेश, जिला - मथुरा। पिन कोड - 281301
सोसायटी/इस्ट - आर० बी० एल० शिक्षा समिति, राम - गडीश, पी० - बलेश, जिला - मथुरा। पिन
कोड - 281301

पत्रांक:-प्राशिप/परिषद/2022/5845

लखनऊ:दिनांक- 14-7-2022

विषय:- सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को अनापत्ति पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।
नतोबत.

उपरोक्त विषयक फार्मसी कारन्तिल ऑफ इण्डिया (पी०सी०आई०) के पत्रांक 14-56/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 दिनांक 21-6-2022 एवं मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहनति/अनापत्ति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

सूख्य है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को सम्बद्धता प्रदान करता है, एवं इस हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/पी०सी०आई०, नई दिल्ली से प्रसंगत संस्थान एवं प्राध्यक्रम के अनुमोदनोपरांत ही संस्थान की सम्बद्धता पर विचार करता है।

मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31-5-2022 एवं पी०सी०आई०, नई दिल्ली के उक्त पत्र संदर्भ संख्या 14-86/2022 (Approval Process for 2022-23 as)/11621-23 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत में राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्था को सहनति/अनापत्ति पत्र मा० उच्चतम न्यायालय में संचित एल०एल०पी० नं० 408/2022 में पारित अंतिम निर्णय के प्रतिबंध के साथ प्रदान की जा रही है कि संस्था द्वारा सत्र 2022-23 हेतु फार्मसी कारन्तिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अनुमोदन पत्र, सत्र 2022-23 हेतु परिषद द्वारा आहूत सम्बद्धता विस्तार की शर्तक से पूर्ण प्राप्त करवा जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त अवधि तक यदि संस्था द्वारा अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय में प्राप्त नहीं करवाया गया तो ऐसी स्थिति में संस्था को सत्र 2022-23 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार निर्गत सहनति पत्र प्रतीकालक है, और उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को पूर्ण किये जाने पर ही मान्य होगा। साथ ही शपथ पत्र में दी गई जानकारी तथा पी०सी०आई० एवं परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों/गणकों के अनुसार संस्था का स्वतीय निरीक्षण एवं अभिलेखीय सत्यापन एक मा० के अंदर सुनिश्चित किया जायेगा। अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि न होने तथा स्थलीय निरीक्षण में गणकों/शर्तों के पूर्ण न किये जाने पर अनापत्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाएगी।

शुभदीन,

(शुनील कुमार लोनकर)
सचिव

पु०स०- प्राशिप/परिषद/2022/5846-47

तद्दिनांक- 14-7-2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उ०प्र०, कानपुर।
2. राजस्टर-थम-सेक्रेटरी, फार्मसी कारन्तिल ऑफ इण्डिया, कल्याण्डर कारन्तिल बिल्डिंग, टेम्पल लेन, कोटला रोड, प्यान-ए-गलिय मार्ग, नई दिल्ली- 110 002

(शुनील कुमार लोनकर)
सचिव

Principal
R.B.S College
Madura Mahavar Mathura